<u>न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 01 मुजफ्फरनगर।</u>

जमानत प्रा०पत्र सं०- 1253/2026
सरकार बनाम सागर प्रताप सैनी
मु०अ०सं०- 49/2026
धारा - 318(4),338,336(3),340(2) बी.एन.एस. व 66D I.T. Act
थाना- बुढ़ाना, जिला- मुजफ्फरनगर।

<u>09.03.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सागर प्रताप सैनी पुत्र स्व० चन्द्रभूषण निवासी गली नं. 2 जी ब्लाक शिव मन्दिर के पास गोविन्दपुरम गाजियाबाद पम्मी उर्फ राकेश कुमार का मकान के विरुद्ध मु०अ०सं०- 49/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. व 66D I.T. Act अन्तर्गत थाना बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त पर लगाए गए आरोप गलत एवं असत्य हैं तथा अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं किया है। अभियुक्त के कब्जे से ऐसी कोई वस्तु या सामान बरामद नही हुआ जिससे यह प्रतीत होता हो कि प्रार्थी की उक्त मुकदमे संलिप्तता हो। अभियुक्त द्वारा जमानत की याचना की गई है। अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त दिनांक 06.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त के ऊपर आनलाईन धोखाधड़ी से प्रार्थी के बैंक खाते से 3,98,000/- रूपये की ठगी करने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय एवं गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण दोष पर टिप्पणी किए, अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सागर प्रताप सैनी पुत्र स्व० चन्द्रभूषण का जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(अमित कुमार यादव IV)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/ कोर्ट सं०-1
न्यायिक मजिस्ट्रेट , मुजफ्फरनगर।
UP03496

Digitally signed by AMIT KUMAR YADAV
Date: 2026.03.09 12:24:25 IST
Reason: Document Owner
Location: ACJ(JD)01